संख्या-150/2022/1483ई/23-11-2022/007-1-2-135-2021

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 03 अक्टूबर, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण,चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण योजना के चालू कार्यो पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1),लोक निर्माण विभाग,लखनऊ के पत्र संख्या-1446/ CE-HQ1/PRYTN/MBD/2022-23, दिनांक 12-09-2022, पत्र संख्या-1447/CE-HQ1/PRYTN/ BAS/2022-23, दिनांक 12-09-2022, पत्र संख्या-1535/CE-HQ1/PRYTN/MIR/2022-23, दिनांक 16-09-2022 पत्र संख्या-1598/ CE-HQ1/PRYTN/BAS/2022-23, दिनांक 21-09-2022, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण,चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण योजना के 11 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रू0 666.90 लाख (रू0 छः करोड़ छाछठ लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तो सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ बचत की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	नि0ख0-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में नजीबाबाद झक्काकी जोगीरम्पुरी नेकपुर मार्ग के कि0मी0 8 से गुरूद्वारा तक मार्ग (ग्रामीण मार्ग) का निर्माण कार्य (लम्बाई 0.250 कि0मी0)।	10.09/10.06	8.07	1.99
2	नि0ख0-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में जसपुर धामपुर मार्ग पर गेट निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	114.91/111.50	29.00	82.50
3	नि0ख0-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में अफजलगढ़ कालागढ़ मार्ग पर गेट निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	114.91/112.03	29.00	83.03
4	प्रा0ख0 बस्ती	जनपद बस्ती में एन0एच0-28 से जमौलिया बंजरिया मार्ग के कि0मी0 2 से दुभरा नहर पटरी होते हुए बैदोलिया होते हुए कुंआगांव (कालीमाता) तक सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) का निर्माण कार्य (लम्बाई 3.10 कि0मी0)।	217.53/215.47	174.02	41.45
5	नि0ख0-2 सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में चोपन-कोटा-कोन-खरौदी मार्ग पर गेट का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	114.91/111.52	29.00	85.52
6	नि0ख0-2 सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में विंढमगंज कोन नकतवार झारखण्ड प्रदेश सीमा मार्ग पर गेट का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	114.91/113.36	29.00	84.36
7	प्रा0ख0 सोनभद्र	जनपद भोनभद्र में चोपन से मध्य प्रदेश बाडेर के कि0मी0 9 (चौरा) से कुडारी मध्य प्रदेश बार्डर तक वाया सेमिया नेवारी मार्ग पर गेट का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	114.91/114.38	29.00	85.38

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8	प्रा0ख0 सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में चोपन से भरहरी मध्य प्रदेश बार्डर के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य पर गेट का निर्माण कार्य।	114.91/114.38	29.00	85.38
9	प्रा0ख0 सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में परसोई से बैलगाड़ी मध्य प्रदेश बार्डर तक मार्ग पर गेट का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	114.91/114.38	29.00	85.38
10	प्रा0ख0 बस्ती	जनपद बस्ती में पौराणिक राम रेखा मंदिर (चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग) एस0एच0-28 तक मार्ग का निर्माण कार्य।	91.31/90.96	73.05	17.91
11	प्रा0ख0 बस्ती	जनपद बस्ती में श्रीरामजानकी मागे से रूपगढ़ रामगगन के घर से शंकर भगवान के मंदिर होते हुए प्रधान मंत्री सड़क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) का निर्माण कार्य (लम्बाई 1.00 कि0मी0)।	73.31/72.65	58.65	14.00
		योग:-			666.90

नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/ शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,66,90,000 (रुपये छह करोड़ छियासठ लाख नव्वे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371349 प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों/सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोडने हेतु मार्गों के निर्माण, चौडीकरण/सुदृढीकरण/ सौन्दर्यीकरण का कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-150/2022/1483ई(1)/23-11-2022/007-1-2-135-202, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।